

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—निरी/भवन/आवास/2521-2622 दिनांक :— 21.04.2010

स्थायी आदेश संख्या: 01/2010

विषय :— राजकीय आवास उपलब्ध न होने पर शहर में स्वयं/किराये के मकान में अस्थायी अनुमति बाबत निर्देश।

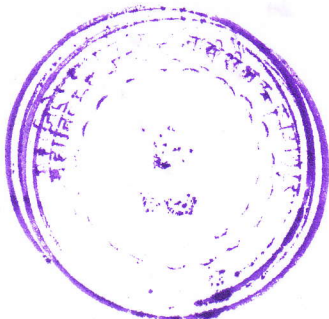
आपका ध्यान राजस्थान कारागार नियम-1951 के सेक्शन-18 के नियम-323 जिसके अन्तर्गत जेल अधिकारी/कर्मियों (अधीनस्थ वर्ग) को जेल परिसर में ही राजकीय आवासगृह में निवास करना अनिवार्य है ताकि उन्हें जेल पर आपातस्थिति में बुलाया जा सके। परन्तु ऐसा देखने में आया है कि जेलों पर आवासगृहों की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी अधिकारी/कर्मचारी जेल परिसर में राजकीय आवासगृहों में निवास नहीं कर शहर में अन्यत्र निजी/किराये के मकान में निवास करते हैं जो कि कारागृह-सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित तो है ही अपितु राज्य सरकार पर भी अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अधिकारी/कर्मचारी के जेल परिसर में उपलब्ध राजकीय आवास-गृह में निवास नहीं करने पर आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त ड्यूटीपर उपलब्ध नहीं हो पाता है।

2. अतः राजस्थान कारागार के उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए सभी कारागृह प्रभारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि जेल पर कार्यरत अधीनस्थ वर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जेल परिसर में उपलब्ध सभी राजकीय आवासगृह आवंटित करें। अन्य अधीनस्थकर्मि सामान्यतः बैरक में आवास करने चाहिये।

3. राजकीय आवासगृह उपलब्ध नहीं होने पर कर्मि द्वारा परिवार के साथ शहर में अन्यत्र निवास करने का प्रार्थना-पत्र संलग्न प्रारूप में सक्षम अधिकारी/जेल प्रभारी को प्रस्तुत करने पर जेल के नजदीक ही शहर में निजी/किराये के मकान में निवास करने की अनुमति जेल प्रभारी द्वारा देय है। प्रार्थना-पत्र में अंकित शर्तों की पालना नहीं करने पर अनुमति निरस्त की जाये।

4. जेल परिसर के बाहर आवास करने की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् राजकीय आवासगृह उपलब्ध होने पर पूर्व प्रदत्त स्वीकृति निरस्त की

21.04.20



जाकर राजकीय आवासगृह आवंटित किया जाये तथा मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाये ।

5. इस परिपत्र की कड़ाई से पालना की जावे तथा स्थायी आदेश प्राप्ति की रसीद कारागृह प्रभारी अपने हस्ताक्षर से इस कार्यालय को भिजवावें ।

संलग्न:-प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
AC कारागार, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
3. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय (जोधपुर - बीकानेर) रेंज-जोधपुर एवं (कोटा-उदयपुर) रेंज-उदयपुर
4. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान
5. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी' श्रेणी / महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
6. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान
7. प्रभारी, बाल बंदी सुधारगृह, घूघरा, अजमेर
8. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर - स्थायी आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु ।



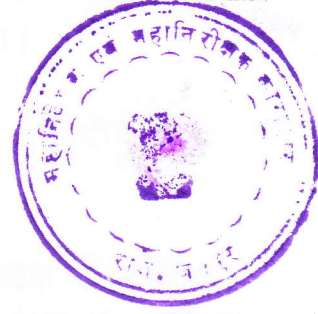
21/4/10
(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान, जयपुर
AC

अधिकारी/कर्मचारी(अधिनस्थ वर्ग)के जेल कर्मी के आवास हेतु राजकीय आवासगृह उपलब्ध नहीं होने पर जेल परिसर से बाहर आवास की विशेष अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

सेवामें,

प्रभारी,केन्द्रीय/जिला कारागृह.....

महोदय,



निवेदन है कि मैंने दिनांक.....को जेल पर अपना कार्यभार--ग्रहण किया है तथा नियमानुसार जेल परिसर में रहने के लिए अधिकृत हूँ ।

2. मुझे जेल परिसर में राजकीय आवास-गृह आवंटित नहीं होने के कारण मैं मेरे स्वयं के मकान/किराये के मकान (मकान का पूर्ण पता).....

.....(कारागृह से दूरी.....किलोमीटर) (सम्पर्क सूत्र टेलीफोन /मोबाइल नम्बर.....) में अपने परिवार के साथ रहने के लिए निम्न शर्तों का पालन करने का एतद् द्वारा वचन देते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन करता हूँ ।

3. मैं मेरे सम्पर्क सूत्र टेलीफोन/मोबाइल नम्बर पर सदैव उपलब्ध रहने के लिए वचनबद्ध हूँ ।
4. मैं मेरे सम्पर्क सूत्र में परिवर्तन की सूचना जेल प्रभारी को तुरन्त देने के लिए वचनबद्ध रहूँगा ।
5. मैं मेरा निवास बदलने से पूर्व जेल प्रभारी से पुनः अनुमति लेने के लिए वचनबद्ध रहूँगा ।
5. मैं विभाग द्वारा राजकीय आवास-गृह आवंटित किये जाने पर स्वयं/किराये के आवास-गृह को छोड़ कर राजकीय आवास-गृह में निवास करने के लिए वचनबद्ध हूँ ।
7. मैं विभाग द्वारा राजकीय आवास-गृह आवंटित होने पर मकान किराया भत्ते के लिए आवेदन नहीं करने के लिए वचनबद्ध हूँ ।
8. मैं विशेष परिस्थितियों में जब कभी भी ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिये टेलीफोन/मोबाइल अथवा किसी अन्य प्रकार से सूचित किया जायेगा तभी तुरन्त कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये एतद् द्वारा वचनबद्ध हूँ ।

५० ५० ३०

9. मैं विशेष परिस्थिति अथवा आपात स्थिति में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्वयं/किराये के मकान में परिवार के साथ रहने के लिये जारी की गयी विभागीय अनुमति निरस्त कर देने पर मकान किराया भत्ते के लिए दावा (claim) नहीं करूँगा।

भवदीय,

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय पदनाम बेल्ट नं० यदि हो
तथा निवास स्थान का पता

टेलीफोन नम्बर

मोबाइल :

लेण्डलाईन :

कार्यालय उपयोगार्थ

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के अधीन/नियंत्रण में राजकीय आवासगृह उपलब्ध नहीं है।
2. प्रार्थी जेलकर्मों को उसके द्वारा अंकित पते पर आवास की अनुमति प्रदान की जाती है/नहीं दी जाती है।
3. मकान किराया भत्ते की स्वीकृति पृथक से नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

दिनांक

सक्षम अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

